प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली,

पत्रांक – एस0टी0/एन0ओ0सी0/ 8627–34 /2018–19 दिनांक 28/8/2018.

विषय :– **कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, राधा टाउन के सामने, एन.एच –2 रिफाइनरी टाउनशिप –बाद, (मथुरा)** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–2762/15–3–91–4(46)/91 दिनांक 30.11.1991 एवं राजाज्ञा संख्या–1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 सपठित शिक्षा निदेशक (मा0) के पत्रांक–सा0 (1)/शिविर/एन0ओ0सी0/7153/2009–2010 दिनांक 01.10.2009 के आलोक में **कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, राधा टाउन के सामने, एन.एच –2 रिफाइनरी टाउनशिप –बाद, (मथुरा)** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षा रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबंधिता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जाएगा।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ती संस्था के छात्रों को प्रदान की जाएगी।

10– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

Principal
Kanha Makhan Public School
Baad, Mathura

Kanha Makhan Public School
Manager

पी0टी0ओ0

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जाएगा।

भवदीय

ह0/xxxx

(के राममोहन राव)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष
आगरा मण्डल, आगरा।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ0स0–एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / 8627-34 / 2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदय आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, (मा0शि0) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
6. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश।
7. प्रबंधक, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, राधा टाउन के सामने, एन.एच –2 रिफाइनरी टाउनशिप –बाद, (मथुरा)।
8. गार्ड फाइल।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा।

Kanha Makhan Public School
Manager

Principal
Kanha Makhan Public School
Baad, Mathura